

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

2018-00109RAAJodhpur2018-46RTA223 Dudaram ors Vs Nathuram etc

01. धूडाराम पुत्र जोराराम
02. जोधाराम पुत्र श्री जोराराम
03. ओमाराम पुत्र श्री जोराराम
04. राजूराम पुत्र श्री जोराराम
05. नारायण राम पुत्र श्री जोराराम
06. अणदा राम पुत्र श्री जोराराम
07. श्रीमती लाखू पत्नी श्री जोराराम  
सभी जातियान् भाट, निवासीगण- दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब  
ना  
म

1. श्री नाथुराम पुत्र श्री ढगलाराम, जाति भाट, निवासी- दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. श्री श्यामाराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
3. श्री शंकरराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट,
4. श्री बाबुराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट,
5. श्री ओमाराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
6. श्री सांवलराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट, के कायम मुकाम-
  - 6.1. अशोक कुमार पुत्र स्व. सांवलराम
  - 6.2. उगमा पत्नीह स्व. सांवलराम
7. श्री धारूराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति भाट
8. श्रीमती मजला पत्नी श्री सुन्दरराम, जाति भाट,  
निवासीगण- दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
9. श्री मूलाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति पालीवाल
10. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पारसमल जाति संकलेचा  
निवासीगण- शास्त्री नगर, जोधपुर, हाल- दुगर, तहसील शेरगढ,  
जिला जोधपुर।
11. श्री गोतमचंद पुत्र कंवरलाल जाति गुलेच्छा संकलेचा, निवासी-  
कमला नेहरू नगर, जोधपुर, हाल निवासी- दुगर, तहसील शेरगढ,  
जिला जोधपुर।
12. श्री दाउराम पुत्र श्री रामाकिशन जाति डागा संकलेचा, निवासी-  
हाथीराम का ओडा, जोधपुर, हालपता- दुगर, तहसील शेरगढ, जिला  
जोधपुर।
13. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल छाजेड़ निवासी- शास्त्री नगर,  
जोधपुर हालपता- ग्राम दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।



राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

14. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी श्री मोहनसिंह, जाति राजपूत,
15. श्रीमती अंतर कंवर पत्नी श्री मोहनसिंह, जाति राजपूत
16. श्री मोहनराम पुत्र श्री भावाराम जाति भाट
17. श्री नेताराम पुत्र श्री भावाराम जाति भाट,
18. श्रीमती अणची पत्नी श्री भावाराम जाति भाट
19. श्री सांगाराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
20. श्री भंवराराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
21. श्री परसराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
22. श्री धोकलराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
23. श्री भाकरराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
24. श्री लालाराम पुत्र श्री राणाराम जाति भाट के कायम मुकाम—
  - 24.1. मांगाराम पुत्र श्री लालाराम
  - 24.2. पूनाराम पुत्र श्री लालाराम
  - 24.3. झूमा पत्नी श्री लालाराम
25. श्री भीमाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
26. श्री कानाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
27. श्री गेनाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
28. श्री अर्जुनराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
29. श्री सुखाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
30. श्री रेवतराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
31. श्री जेसाराम पुत्र श्री बोराराम जाति भाट
32. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री बोराराम जाति भाट
33. श्रीमती सुखी पत्नी श्री सांगाराम के कायम मुकाम—
  - 33.1. सांगाराम पुत्र श्री राणाराम
  - 33.2. रमेश उर्फ रामाराम पुत्र श्री सांगाराम
  - 33.3. गायडराम पुत्र श्री सांगाराम
34. श्रीमती बुद्धि देवी पत्नी श्री अनोपाराम जाति भाट
35. श्री मांगीलाल पुत्र श्री राणाराम जाति भाट
36. श्री शंकरराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
37. श्री छैलाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
38. श्री पुरखाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट
39. श्रीमती सायर पत्नी श्री जोगाराम जाति भाट
40. श्री गिरधारी पुत्र श्री जोगाराम जाति भाट(लाऔलाद फौत)
41. श्री पाबूराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति भाट
42. श्री गोलाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट के कायम मुकाम—
  - 42.1. मांगाराम पुत्र श्री गोलाराम जाति भाट
  - 42.2. श्रीमती पेड़ी पत्नी श्री गोलाराम जाति भाट



  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

43. श्री गेपरराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
  44. श्री गोपाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
  45. श्री मोहनराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
  46. श्री अखाराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
  47. श्री पाबूराम पुत्र श्री थानाराम जाति भाट
  48. श्री विस्मराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
  49. श्री भेराराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
  50. श्री गोकलराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
  51. श्री जेताराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
  52. श्री घेवरराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
  53. श्री प्रेमराम पुत्र श्री अबाराम जाति भाट
- सभी निवासीगण— हनुमानगढ दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
54. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री जोराराम जाति जाट,
  55. श्री नोजी पत्नी श्री भेराराम जाति जाट
- निवासीगण— पुरखपुरा बम्बोर, हाल निवासी— ग्राम दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
56. सरपंच ग्राम पंचायत दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
  57. तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।



रेसपो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15  
अप्रैल 2011 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद  
संख्या 92/2010 नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि


उपस्थित—

श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स  
श्री महेन्द्र कुमार झूडी, अधिवक्ता—रेसपो. संख्या 1 से 8, 14 से 33/3, 35, 36, 38, 39,  
41, 42/1, 44, 46 से 50, 52, 53  
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 15  
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेसपो. संख्या 57

निर्णय

दिनांक : 25 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या  
92/2010 अनवान नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री  
दिनांक 15 अप्रैल 2011 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर


काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 अप्रैल 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1 रकबा 299.11 बीघा ग्राम दुगर तहसील शेरगढ के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2011 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार शेरगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 अप्रैल 2011 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना संपूर्ण कार्यवाही एकतरफा करते हुए हस्तगत मामले में बिना कोई तनकीयात कायम किये पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य-सबूतों का विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। तहसीलदार शेरगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित ही नहीं किया तथा विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार किया है तथा विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स के कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को आपत्तियों प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करी जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय एवं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में मौके पर रेस्पोंडेंट ने गैर कानूनी तरीके से अपीलांट्स के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने के लिए झगड़ा किया एवं धमकी दी कि न्यायालय से बंटवाड़े की डिक्री हो चुकी है। जिस पर अपीलांट दिनांक 06 अप्रैल 2018 को नकल प्राप्त करने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं की गई है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जावे।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2010 अनवान नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 अप्रैल 2011 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि तहसीलदार शेरगढ द्वारा नियमानुसार उभय पक्ष की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट्स के कब्जे काश्त अनुसार ही उन्हें मौके पर भूमि दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।




राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के प्रावधानानुसार तहसीलदार शेरगढ द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का आगोलाई द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त अपीलांट्स को सूचित भी नहीं किया गया है तथा उनकी अनुपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम-विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2010 अनवान नाथुराम बनाम श्यामा राम इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15 अप्रैल 2011 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह तहसीलदार शेरगढ(हाल बालेसर) से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करवाते हुए नियमानुसार उभय पक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर तलब करे तथा विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ओमप्रकाश विश्नोई)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर